भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1376

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

लद्दाख में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन

1376. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लद्दाख में वित्तीय आवंटन के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रगति का ब्यौरा क्या है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत क्षेत्र-वार कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षण मिला है, लाभार्थियों का किस-किस प्रकार का कौशल उन्नयन हुआ है, उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात कितना है;

(ख) सरकार द्वारा हिमालयी क्षेत्र विशेषकर लद्दाख में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या पहल की गई है और लद्दाख में कार्यरत एमएसएमई की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लद्दाख में पिछले पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सरकार ने लद्दाख सहित देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रगति के लिए हाल ही में कई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम : एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 75 से 85 प्रतिशत तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 200 लाख रुपए की सीमा तक के कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। बजट 2023-24 में ऋण की कम लागत के साथ 2.00 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त ऋण को संभव बनाने हेतु सीजीटीएमएसई के कार्पस में 9000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है।

ii. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आपदा के मद्देनजर अपने कार्य संचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने तथा व्यवसायों को बनाए रखने के लिए पात्र एमएसएमई तथा अन्य व्यावसायिक उद्यमों को सहायता प्रदान करने हेतु मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की घोषणा की गई थी। इस स्कीम में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा पात्र ऋणप्राप्तकर्ताओं तक विस्तारित क्रेडिट सुविधा के संबंध में उन संस्थानों को 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान की जाती है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक वैध है।

iii. मंत्रालय अ.जा./अ.जा.जा/महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुष और महिलाओं) को स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को कॅरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में अपनाने हेतु विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जिसे बिना किसी प्रकार के राज्य विशिष्ट आवंटन के साथ लद्दाख सहित देशभर में कार्यान्वित किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 में ईएसडीपी से 105 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे जिनमें से 85 प्रतिशत महिलाएं थीं।

(ख) : सरकार ने लद्दाख सहित देशभर में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट गारंटी योजना।
ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु ''उद्यम पंजीकरण''।
vi. एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और उन्हें सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में ''चैंपियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन के मामले में गैर-कर लाभों का 3 वर्षों के लिए विस्तार।
ix. प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
x. बजट 2023-24 में ऋण की कम लागत के साथ 2.00 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त ऋण को संभव बनाने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्पस में 9000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है।

लद्दाख में इस समय जिला-वार कार्यशील एमएसएमई की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	उद्यम पंजीकरण की शुरुआत से लेकर दिनांक 08.02.2023 तक इसके अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई
1	कारगिल	1,762
2	लेह लद्दाख	3,692
स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल		

(ग) : एमएसएमई के लिए दिनांक 01.07.2020 को एमएसएमई "उद्यम पंजीकरण पोर्टल" के वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन किया गया था। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 08.02.2013 (वर्ष-वार) तक लद्दाख में एमएसएमई में किए गए निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	निवेश करोड़ रुपए में
1	2020-21 (01.07.2020-31.03.2021)	138.32
2	2021-22	275.70
3	2022-23 (दिनांक 08.02.2023 तक)	148.92
स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल		

*****